

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2022/6121


दिनांक 17/11/2022

// कार्यालयीन आदेश //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14, अक्टूबर 2022 के पद क्रमांक -06(अ-अ-10) पर लिये गये निर्णय "मध्यप्रदेश वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय-भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/9-11/2017/नियम/चार, भोपाल दिनांक 25, जून 2018 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के अधीन मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान की पात्रता की स्वीकृति प्रदान की गई है"। विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2005 एवं उसके पश्चात् नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों को उपादान राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व शासन द्वारा जारी आदेश को अंगीकृत (Adopt) कर उपादान राशि का नियमानुसार भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तदनुसार दिनांक 01.01.2005 एवं उसके पश्चात् नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों को उपादान राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


आदेशानुसार



कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/समस्त अध्ययनशाला/विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
2. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
3. सहा कुलसचिव (लेखा विभाग) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
4. कुलपति जी के सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
5. कुलसचिव जी के निज सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
6. बाह्य अंकेक्षण विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।



सहा/उप-कुलसचिव(प्रशा)